मध्यप्रदेश
राज्य योजना मण्डल

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

(21.3.2007 की स्थिति में)

राज्य योजना मण्डल
भाग–1

1. विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास, राज्य संसाधनों के मूल्यांकन एवं उनका प्रभावी उपयोग सामाजिक, आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24–10–1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया । वर्ष 1979–80 में इसके स्वरूप में आंशिक संशोधन हुआ । कालान्तर में 5 मार्च 1994 के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर राज्य योजना मण्डल का पुनर्गठन किया गया तथा दिनांक 31–1–1997 के द्वारा इसका स्वरूप निर्धारित किया गया जो, वर्तमान में प्रभावशील है ।

पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, एवं उपाध्यक्ष पद राज्य मंत्री स्तर का है, इसके अतिरिक्त अंशकालीन सदस्य मनोनीत किये जाते हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र के अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ होते हैं । वर्तमान में अंशकालीन सदस्यों की संख्या 9 है । (परिशिष्ट–एक)

मुख्यालय राज्य योजना मण्डल कार्यालय भोपाल में स्वीकृत प्रशासकीय अमला/पदस्थापना की जानकारी (परिशिष्ट–दो) में दी गई है ।

2. राज्य योजना मण्डल के दायित्व

(1) राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिये योजनाएं बनाना ।

(2) जिला योजना अधिकारियों को जिला योजनाएं तैयार करने में सहायता करना, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रूप से राज्य योजना ढांचे में सम्मिलित किया जा सके ।

(3) राज्य के समाजार्थिक विकास की रूकावटों के कारणों को ज्ञात करना और राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु उपाय सुझाना ।

(4) योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में समायोजनों की अनुशंसा करना ।

(5) योजना की प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।

3. विभागीय पदोन्नति

राज्य योजना मण्डल का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है । मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत् पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति की कार्यवाही की गई है ।

4. विभागीय जांच

राज्य योजना मण्डल में किसी भी श्रेणी का, विभागीय जांच प्रकरण लंबित नहीं है ।

5. नियुक्ति/स्थानांतरण

राज्य योजना मण्डल स्तर पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत बैकलाग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भरती एवं पदोन्नति से की गई है ।

6. न्यायालयीन प्रकरण

राज्य योजना मण्डल में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने या अन्य कार्यवाही के लिये कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

7. संसदीय कार्य / विधि विषयक

कोई विधेयक, शून्य काल की सूचना लंबित नहीं है । 50 प्रश्नों के उत्तर प्रेषित किये गये जिनमें 34 तारांकित तथा 20 अतारांकित थे । एक प्रश्न का उत्तर भेजना शेष है । नियम 267–क के अधीन सूचना क्रमांक–70 का उत्तर एवं

अशासकीय संकल्प क्रमांक–33 का उत्तर प्रेषित किया गया है । दो आश्वासनों की जानकारी भेजना शेष है ।

8. वेबसाईट

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर राज्य योजना मण्डल की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है । विभाग की वेबसाईट का address : http://www.mp.nic./planning है ।

9. जिला योजना समिति

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 प्रभावशील होने के पश्चात प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन किया गया । सभी जिलों में जिला योजना समितियां गठित हैं, जिसके सदस्य सचिव, कलेक्टर हैं । जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के कार्यालय प्रमुख जिला योजना अधिकारी/जिला सांख्यिकी अधिकारी हैं जो जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में कार्यरत हैं ।

10. राज्य योजना मण्डल में 1.2.07 की स्थिति में स्वीकृत एवं भरे पद

राज्य योजना मण्डल में प्रथम श्रेणी के 5 पद, द्वितीय श्रेणी के 6 पद, तृतीय श्रेणी के 34 एवं चतुर्थ श्रेणी के 20 पद स्वीकृत है जिसमें से द्वितीय श्रेणी का 1, तृतीय श्रेणी के 5 पद रिक्त हैं शेष पद भरे हुए हैं।

11. राज्य योजना मण्डल के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

(1) राज्य योजना प्रस्ताव तैयार करना

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 के लिये प्रसारित दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित लक्ष्यों/प्राथमिकताओं एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का प्रतिवेदन तैयार किया गया । इसमें मुख्य प्राथमिकता कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई क्षमता का विस्तार, विद्युत क्षेत्र की मांग एवं पूर्ति में समतुल्यता लाना, जनसामान्य के लिये आधारभूत सामाजिक सेवाओं–शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अधोसंरचना विकास, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, विक्रेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का विस्तार करना, महिलाओं एवं कमजोर वर्गो के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है । शिक्षा गारन्टी योजना के द्वारा शिक्षा के लोकव्यापीकरण की पहल कर उसके विस्तार एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, जनभागीदारी योजना के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया । इस हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07, रूपये 25737.25 करोड़ की निर्धारित की गई थी । वार्षिक योजना 2005–06 हेतु रूपये 7471 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वार्षिक योजना 2005–06 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिये रूपये 2408 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है । वार्षिक योजना 2006–07 के लिये रूपये 9020 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वार्षिक योजना 2006–07 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिये रूपये 3095 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है जो कुल योजना परिव्यय का 34.31 प्रतिशत है ।

राज्य योजना मण्डल द्वारा भारत सरकार योजना आयोग के एप्रोच पेपर के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2007–08 के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं । विभागों से हुई चर्चा एवं वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12, रूपये 69338.00 करोड़ एवं वार्षिक योजना 2007–08 के लिये रूपये 11561.00 करोड़ की बनाई जा रही है ।

(2) **राज्य योजना की समीक्षा**

राज्य योजना मण्डल का एक महत्वपूर्ण कार्य योजना कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करना है । वार्षिक योजना 2005–06 एवं 2006–07 की समीक्षा की जा चुकी है । योजना आयोग के प्रमुख सलाहकार (प्रभारी मध्यप्रदेश) द्वारा वर्ष 2006–07 की अर्धवार्षिकी समीक्षा भी की जा चुकी है ।

(3) **जिला योजना**

वर्तमान नियोजन प्रणाली में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के अंतर्गत विकास गतिविधियों में पूंजी निवेश के नियोजन का कार्य केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ही सम्पादित होता है एवं राज्य स्तर के नीचे नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित नहीं हो सकी है । प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन तंत्र को जिला एवं निचले स्तर तक विकसित करने हेतु जिला योजना समितियों का गठन किया गया है, जो ग्रामीण (पंचायत) एवं शहरी (नगरीय निकायों) क्षेत्र की योजना को समेकित कर जिले की समग्र विकास की योजना तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं से भी सह संबंध स्थापित कर, जिले की वार्षिक योजना तैयार की जाकर उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की जायेगी । इस हेतु जिला योजना मार्गदर्शिका बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जिला एवं निचले स्तर से नियोजन प्रणाली, कार्य व्यवस्था, दीर्घकालीन विकास योजना, पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तथा वित्तीय सहायता एवं बजट प्रावधान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2002–03 से जिला स्तर पर योजना तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार समीक्षा की गई । इसके लिए जिले के कलेक्टर, स्त्रोत साधकों एवं जिला

योजना अधिकारियों/प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । इसी के अनुरूप राज्य योजना मण्डल द्वारा समस्त जिलों की जिलेवार योजना वर्ष 2006–07 तैयार की गई । जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर विभिन्न कार्यकारी दलों से तथा बाद में उपाध्यक्ष, राज्य योजना से चर्चा उपरांत जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है । दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश की वार्षिक योजना 2002–03 में जिला योजना हेतु रूपये 1600.00 करोड़, 2003–04 में रूपये 1633.60 करोड़, वार्षिक योजना 2004–05 के लिये रूपये 2029.84 करोड़, वर्ष 2005–06 के लिए रूपये 2408.46 करोड़ एवं वर्ष 2006–07 के लिये 3095.00 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है ।

(4) **जिला योजना समिति**

संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है । जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद–243 य घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है । समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे । जिलाध्यक्ष, समिति के सदस्य सचिव हैं । इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं । जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियां गठित कर सकेंगी । विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उप समितियां उन क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यो/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मानीटरिंग करने के साथ–साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी । जिला योजना समितियों के निम्नलिखित कृत्य हैं :–

(1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना ।

(2) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिये ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी

का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं विकासखण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना ।

(3) ग्राम, खण्ड तथा जिलास्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना ।

(4) उपलब्ध प्राकृतिक /मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय संगत उपयोग/विदोहन करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना ।

(5) पंचायतों तथा नगरीय निकाय द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

(6) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना ।

(7) जिले की योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना ।

(8) जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना।

(9) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अन्तर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों /कार्यक्रमों, जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों (योजनाओं) और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं, की प्रगति की मॉनीटर करना, उनका मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन करना।

(10) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के सम्बन्ध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

(11) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्त पोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से संबद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनियोजन अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे ।

(12) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना।

(13) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले राज्य सेक्टर की स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना।

(14) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जाएं ।

भाग–2

1. बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)– (दिसम्बर 2006 की स्थिति में)

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट प्रावधान 2006–07	पुनरीक्षित अनुमान 2006–07	वास्तविक व्यय 31–12–06	बजट प्रावधान 2007–08 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या–31– शीर्ष–3451 **1. राज्य योजना मण्डल**					
(अ) आयोजनेत्तर		157.45	161.85	92.00	190.25
(ब) आया		26.50	26.50	21.23	13.00
योग–1 (अ+ब)		183.95	188.35	113.23	203.25
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र –शीर्ष –4515					
मांग संख्या–60 आयोजना		9360.00	12480.00	5157.00	12480.00
मांग संख्या–41 आयोजना		2460.00	3280.00	1522.00	3280.00
मांग संख्या–64 आयोजना		2040.00	2720.00	1271.00	2720.00
योग (2)		**13860.00**	**18480.00**	**7950.00**	**18480.00**
3 जनभागीदारी योजना –शीर्ष –4515					
मांग संख्या–60 आयोजना		2878.41	3269.00	1861.00	3997.00
मांग संख्या–41 आयोजना		1493.00	1716.00	802.00	2227.00
मांग संख्या–64 आयोजना		554.68	651.00	218.00	873.00
योग (3)		4926.09	5636.00	2881.00	7097.00
महायोग (1+2+3)		18970.04	24304.35	10944.23	25780.25

भाग–3

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :

(अ) राज्य योजनाएं :

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने –अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रूपये 20 लाख की लागत के पूंजीगत प्रकृति के निर्माण कार्य अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–02 में प्रति विधान सभा क्षेत्रवार राशि रूपये 20.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 40.00 लाख की गई, तथा वर्ष 2005–06 में रूपये 60.00 लाख, एवं वर्ष 2006–07 में राशि पुनः बढ़ाकर रूपये 80.00 लाख की गई वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण नीचे दिया गया है ।

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)

राशि करोड़ रूपये में .कार्य संख्या में

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2005–06	138.60	12081	8162	3437	482
2006–07	184.80	8153	1661	3912	2580

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत :

आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराये गये कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या –41 **(दिसम्बर 2006 की स्थिति)**

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	1611	1210	389	17
2006–07	1151	286	656	225

मांग संख्या –64

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	1874	838	778	258
2006–07	899	419	302	176

जनभागीदारी योजना

वित्तीय वर्ष 2000–01 से जनभागीदारी योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों को 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत राशि शासन के अंशदान के रूप में स्वीकृत की जाती है तथा शेष क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत राशि जनभागीदारी से प्राप्त होती है । जनभागीदारी अंशदान के रूप में मानव श्रम अथवा ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों (सामग्रीदान) की गणना की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनाओं अथवा ऐसी योजनाएं जो ग्रामवासियों के लिये उपयोगी हों, ली जाती है। गरीबों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदायों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है ।

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिलों को प्रदाय आवंटन रू. 49.26 करोड़ में से दिसम्बर 2006 तक रू. 73.05 करोड़ (जनभागीदारी की राशि रू. 31.22 करोड़ के व्यय सहित) व्यय हुए । वर्ष 2006–07 में जिलों को आवंटित राशि रू. 56.36 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर, 2006 तक रू. 40.08 करोड़ (जनभागीदारी राशि रू. 17.57 करोड़ के व्यय सहित) व्यय हुए ।

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है ।

दिसम्बर 2006 की स्थिति

राशि करोड़ रूपये में .कार्य संख्या में

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2005–06	49.26	2438	1844	586	08
2006–07	56.36	1643	624	851	168

जनभागीदारी योजना के तहत आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराए गए कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या –41 **दिसम्बर 2006 की स्थिति**

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	495	418	76	1
2006–07	380	141	220	19

मांग संख्या –64

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	232	182	50	–
2006–07	128	45	72	11

(स) केन्द्र प्रवर्तित /क्षेत्रीय योजनाऐं

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:

भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 से आरम्भ की गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपये के स्थानीय महत्व के निर्माण कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र मे अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया । वर्ष 1998–99 से यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है । प्रतिवर्ष, प्रति सांसद रूपये 2 करोड़ के मान से, आवंटन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश सीधे भारत सरकार से जिलों को प्राप्त होते हैं । राज्य शासन द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ ही योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कार्यो की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है ।

प्रदेश में, वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :–

दिसम्बर 2006 की स्थिति

राशि करोड़ रूपये में .कार्य संख्या में

वर्ष	**आवंटन**	**स्वीकृत कार्य**	**पूर्ण**	**प्रगति पर**	**अप्रारंभ**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2005–06	74.00	5003	3386	1382	235
2006–07	37.00	2347	609	1372	366

भाग –4

प्रशासनिक विषय : निरंक

भाग–5

अभिनव योजना : निरंक

भाग–6

प्रकाशन : निरंक

भाग–7

- 11 वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के एवं वार्षिक योजना 2007–08 के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है जो क्रमशः 69338.00 तथा 11561.00 करोड़ की बनायी जा रही है ।

- जनभागीदारी योजना के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है । अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में योजना राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनभागीदारी नियमों में संशोधन किया गया । अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब 75 प्रतिशत राशि शासन के अंशदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

- चालू वर्ष में, 8153 कार्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये, जिनमें से 1661 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, 3912 कार्य प्रगति पर हैं, 2580 कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया में हैं ।

- जनभागीदारी योजना के तहत चालू वर्ष में उपलब्ध कराये गये कुल आवंटन रू. 56.36 करोड़ के तहत 1643 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 624 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 851 कार्य प्रगति पर है, तथा 168 आरंभ कराने की प्रक्रिया में है ।

- विकास की यात्रा सतत् प्रक्रिया है जिसमें जनभागीदारी के माध्यम से जनता के सहयोग व सक्रिय भागीदारी एवं जागरूकता से विकास में गति आई है ।

राज्य योजना मण्डल का स्वरूप

1.	अध्यक्ष	–	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
2.	उपाध्यक्ष	–	राज्य मंत्री स्तर का
3.	अंशकालीन सदस्य	–	राज्य योजना मण्डल में अंशकालीन सदस्यों का प्रावधान है ।

4. पदेन सदस्यः–

   1. प्रभारी मंत्री, वित्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास
   2. प्रभारी मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
   3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
   4. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव / सचिव योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी/वित्त/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

5. सदस्य सचिव :–
   अपर मुख्य सचिव /सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग

परिशिष्ट–दो

राज्य योजना मण्डल के स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम श्रेणी						
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित शर्त	1	1	–	–
2.	सदस्य सचिव	संवर्गीय वेतनमान	1	1	–	–
3.	अपर सचिव	16400–22400+ विशेष वेतन	1	1	–	–
4.	अवर सचिव	10000–13500	1	1	–	–
5.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान	2	2	–	–
द्वितीय श्रेणी						
6.	सहायक सलाहकार	8000–13500	4	3	1	–
7.	लेखाधिकारी	8000–13500	1	1	–	–
8.	प्रशासकीय अधिकारी	6500–10500	1	1	–	–
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव	6500–10500	2	2	–	–
10.	निज सहायक	5500–9000	3	3	–	–
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी–3	4500–7000	2	1	1	–
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500–9000	3	1	2	–
13.	अन्वेषक	4000–6000	7	7	–	–
14.	लेखापाल	4500–6000	1	1	–	–
15.	सहायक ग्रेड–1	4500–7000	2	2	–	–
16.	सहायक ग्रेड–2	4000–6000	4	4	–	–
17.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	6	6	–	–
18.	सुरक्षा गार्ड	3050–4590	4	2	2	–
19.	वाहन चालक	3050–4590	5	5	–	–
20.	जमादार/दफतरी	2610–3540	6	6	–	–
21.	भृत्य	2550–3200	12	12	–	–
22.	स्वीपर	2550–3200	1	1	–	–
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	–	1	–
24.	पार्ट टाईम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	–	–	–	–
	योग		**71**	**64**	**7**	–